नवोदय विद्यालय समिति

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा–2021 के लिए विवरणिका
कक्षा–6 में प्रवेश के लिए

नवोदय विद्यालय योजना

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय (ज.न.वि.) प्रारम्भ किए थे। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में संचालित हैं। ये सह–शैक्षणिक आवासीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त एवं एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से संचालित हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा–6 के लिए प्रवेश **जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST)** के माध्यम से किए जाते हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिन्दी माध्यम है। ज.न.वि. के विद्यार्थी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। यहां पर विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, गणवेश (यूनीफार्म) एवं पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं, केवल कक्षा **9 से 12 तक के विद्यार्थियों से** रू0 600/–प्रति माह विद्यालय विकास निधि के माध्यम से लिया जाता है, परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, सभी बालिकाएं और वे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) है, छूट दी गई है। छूट प्राप्त वर्ग (कक्षा–6 से 8 के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और बालिकाएं तथा गरीबी रेखा के नीचे (**BPL**) परिवारों के पाल्य) के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के पाल्य से रू0 **1500**/– प्रतिमाह की दर से विकास निधि के लिए अथवा माता–पिता द्वारा प्राप्त वास्तविक पाल्य शैक्षणिक भत्ता जो भी कम हो देय होगा परन्तु विद्यालय विकास निधि रू0 **600**/–प्रतिमाह प्रति छात्र से कम नहीं होगी।

योजना के उद्देश्य

(i) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा के साथ सशक्त सांस्कृतिक घटक एवं मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक क्रियाओं एवं शारीरिक शिक्षा प्रदान करना है।
(ii) विद्यार्थियों की उचित स्तरीय त्रिभाषा दक्षता प्राप्ति सुनिश्चित करना।
(iii) हिंदी से अहिंदी भाषी तथा अहिंदी से हिन्दी भाषी राज्यों में विद्यार्थियों के प्रवजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
(iv) अनुभवों और सुविधाओं की सहभागिता के द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में केन्द्र बिन्दु के रूप में सेवाएं देना।

1.1 राज्यवार जवाहर नवोदय विद्यालयों का वितरण

नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में एक विद्यालय चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। वर्तमान में भारत में 27 राज्यों और 08 संघ शासित प्रदेशों में कुल 661 नवोदय विद्यालय स्वीकृत हैं। राज्यवार स्वीकृत ज.न.वि. निम्नवत् है :–

आन्ध्र प्रदेश	13+2**	केन्द्रशासित लद्दाख	02	पंजाब	22+01**
आसाम	27+01**	केन्द्रशासित जम्मू और कश्मीर	20+01**	केन्द्रशासित पुद्दूचेरी	04
अरुणाचलप्रदेश	18	झारखण्ड	24+2**	राजस्थान	33+02**
केन्द्रशासित अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	03	कर्नाटक	30+01**	सिक्किम	04
बिहार	38+01**	केरल	14	त्रिपुरा	08
केन्द्रशासित चण्डीगढ़	01	केन्द्रशासित लक्षद्वीप	01	तेलंगाना	09
छत्तीसगढ़	27+01**	मध्यप्रदेश	51+02**+01*	उत्तर प्रदेश	75+01**
केन्द्रशासित दिल्ली	09	महाराष्ट्र	33+01**	उत्तराखण्ड	13
केन्द्रशासित दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	03	मणिपुर	09+2**	पश्चिम बंगाल	19+1**
गोवा	02	मेघालय	11+01**		

गुजरात	33+1**	मिजोरम	08	**योग638+22**+01*=661**
हरियाणा	21	नागालैण्ड	11	
हिमाचल प्रदेश	12	उड़ीसा	30+01**	

**** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या संकेन्द्रण वाले जिलों हेतु स्वीकृत अतिरिक्त ज.न.वि.*विशिष्ट ज.न.वि.**
प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 80 विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर छठी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। समिति को यह अधिकार होगा कि पर्याप्त भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित जिले में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में कमी करके 40 कर दे अथवा चयन परीक्षा, प्रवेश अथवा उसका परिणाम रोक दे।

1.2 जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा–2021

शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 06 में प्रवेश हेतु जनवि चयन परीक्षा सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए एक चरण में **शनिवार 10 अप्रैल, 2021 को प्रातः 11:30 बजे** से आयोजित की जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर – 2020 है।

ज0न0वि0 चयन परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें

2.1 ज.न.वि.चयन परीक्षा–2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

(i) ज.न.वि. चयन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर ऑनलाइन कर दिया गया है। नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in एवंम navodaya.gov.in/nvs/en/Admission-JNVST/JNVST-class/ के प्रवेश पोर्टल पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण किया जा सकता है। **परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के निवास, उम्र, पात्रता इत्यादि का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।**

(ii) योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा और अभ्यर्थी व उसके माता पिता/अभिभावक दोनो के हस्ताक्षर एवं अभ्यर्थी की फोटो के साथ प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। संलग्नक **जे.पी.जी. प्रारूप में अपलोड करें जिसका आकार 10–100 के.बी. के बीच हो।**

(iii) एन.आई.ओ.एस. अभ्यर्थी होने की दशा में अभ्यर्थी के पास 'ब' प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास उसी जिले में होना चाहिए, जहां वह प्रवेश चाहता/चाहती है।

(iv) ऑनलाइन प्लेटफार्म खुला माध्यम एवं निःशुल्क है। आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भरा जा सकता है जैसे–डेस्कटॉप, लेपटॉप, मोबाइल, टैबलेट इत्यादि।

(v) सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में अभ्यर्थियों/अभिभावकों की सहायता हेतु निःशुल्क आवेदन अपलोड करने के लिए सहायता केन्द्र उपलब्ध होंगे। माता–पिता अपने पाल्य (अभ्यर्थी) के साथ वांछित प्रमाण पत्र जैसे–फोटो और एस.एम.एस. तथा पासवर्ड एवं पंजीकरण संख्या प्राप्त करने हेतु, मोबाइल फोन, वैध मोबाइल नम्बर के साथ पंजीकरण प्रक्रिया हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय के सहायता केन्द्र पर संपर्क कर सकते हैं।

2.2 प्रवेश पत्र जारी करना

प्रवेश पत्र नविस द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा जो कि आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जनवि चयन परीक्षा के आयोजन से पूर्व अभ्यर्थी/माता पिता द्वारा प्रवेश पत्र निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा।

2.3 चयन परीक्षा का परिणाम

ज.न.वि. चयन परीक्षा–2021 का परीक्षा परिणाम जून, 2021 में घोषित होने की संभावना है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम एडमीशन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम संबधित कार्यालयों में भी प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

(i) जवाहर नवोदय विद्यालय
(ii) जिला शिक्षा अधिकारी
(iii) जिलाधिकारी
(iv) उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति संभाग
(v) नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in

चयनित अभ्यर्थी को संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी पंजीकृत मोबाइल पर एस.एम.एस. तथा साथ–साथ स्पीड पोस्ट से भी सूचना दी जायेगी।

चयन तथा प्रवेश

3.1 केवल चयन परीक्षा में सफल होने मात्र से ही अभ्यर्थी जनवि में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होगा। स्थाई रूप से प्रवेशके समय प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रवेश होने तक चयन अस्थाई माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जनवि द्वारा प्रपत्रों के सत्यापन एवं प्रवेश की पुष्टि होने के पश्चात ही पूर्ववर्ती विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।

3.2 किसी भी विवाद की स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा।

3.3 परीक्षा में अभ्यर्थियों (चयनित अथवा जो चयनित नहीं हुए हैं) द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना नहीं दी जाती है।

3.4 उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन एवं अंकों का पुनः योग का कोई प्रावधान नहीं है, चूंकि परिणाम कम्प्यूटर की सहायता से तैयार किया जाता है और परिणाम तैयार करते समय विभिन्न स्तर पर जांच के माध्यम से परिणाम को सटीक बनाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है।

3.5 अभ्यर्थी तथा उनके माता–पिता/अभिभावक ध्यान दें कि नविस की योजना के अनुसार जब विद्यार्थी कक्षा 9 में आयेगा तब उसे हिंदी भाषी राज्य के जनवि से अहिंदी भाषी राज्य के दूसरे जनवि और इसी तरह अहिंदी भाषी से हिंदी भाषी जनवि मेंएक शैक्षणिक सत्र के लिए जाना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रवजन हेतु चुने गये विद्यार्थी/माता–पिता द्वारा इंकार किये जाने पर उसको जनवि में अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

3.6 अभ्यर्थी और उनके माता–पिता/अभिभावक ध्यान दें कि परीक्षा के आधार पर चयनित बच्चों को उसी जिले के ज.न.वि. में प्रवेश दिया जायेगा, जहां से कक्षा–5 में पढ़ रहे हैं और ज.न.वि. चयन परीक्षा (जे.एन.वी.एस.टी.) में सम्मिलित हो रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में चयनित परीक्षार्थी को अन्य जनवि में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित जनवि में पढ़ाई के माध्यम अथवा माता–पिता/अभिभावक के अन्य जिले/राज्य में बदलाव की स्थिति में छात्र का विद्यालय बदलाव हेतु प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

3.7 चयन होने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को केन्द्रीय सूची (प्रति संलग्न) के निर्धारित प्रारूप के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रवेश वर्ष की 30 मार्च से पहले प्राप्त करना होगा, ताकि वह प्रवेश के समय प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित जनवि के प्राचार्य को दिया जा सके। जैसे–यदि अभ्यर्थी सत्र 2021–22 में प्रवेश ले रहा है तो उसे 30 मार्च, 2021 तक या इसके पूर्व का प्रमाण पत्र देना होगा।

3.8 अभ्यर्थी ने ग्रामीण वर्ग में आवेदन किया है तो उसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रवेश के समय देना होगा कि अभ्यर्थी ने जिस विद्यालय से कक्षा–3, 4 एवं 5 में अध्ययन किया है, वह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है।

3.9 अभ्यर्थी दिव्यांग वर्ग (अस्थि, श्रवण एवं दृष्टि सम्बन्धी दिव्यांगता) की श्रेणी में आता है, तो उसे चयनित होने पर प्रवेश लेते समय सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा–प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3.10 ट्रांसजेन्डर वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने लिंग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। इस श्रेणी हेतु अलग से कोई आरक्षण नहीं है।

कौन पात्र है

सभी अभ्यर्थियों के लिए

4.1 केवल उसी जिले के अभ्यर्थी जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है, प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र हैं लेकिन उन जिलों के लिए जहाँ कि ज.न.वि. प्रारम्भ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ है एवं यदि विभाजन से निर्मित जिले में नवीन विद्यालय नहीं खोला गया है तो ज.न.वि. चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप अभ्यर्थियों की पात्रता रहेगी।

4.2 प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का **जन्म 1.5.2008 से पहले तथा 30.4.2012 (दोनों तिथियॉ सम्मिलित)** के बाद का नहीं होना चाहिए। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के सन्देह होने पर उन्हें आयु की प्रमाणिकता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

4.3 निर्धारित चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले, जहाँ वह प्रवेश लेना चाहता/चाहती है, के किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/अन्य मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता **'प्रमाण पत्र–ब'** सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र **2020–21** के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत् होना चाहिए। सरकार अथवा सरकार की ओर से अधिकृत किसी एजेन्सी के द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित विद्यालय को ही मान्यता प्राप्त माना जायेगा। वे विद्यालय, जिनके छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र–'ब' प्राप्त किये हों, उन्हें

एन0आई0ओ0एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। छात्र को सत्र **2020–2021** में सफलतापूर्वक कक्षा 5 पूर्ण किया होना चाहिए। कक्षा 6 में सत्र **2021–2022** में वास्तविक प्रवेश निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

4.4 ग्रामीण क्षेत्र के कोटे से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा–3, 4 और 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो एवं उत्तीर्ण हुआ हो।

4.5 अभ्यर्थी, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से 'ब' प्रमाण पत्र दक्षता सहित **30 सितम्बर, 2020** तक या उससे पूर्व उत्तीर्ण करेंगे वे भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, अगर वे निर्धारित आयु सीमा में हों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान' के प्राधिकृत केन्द्रों/संस्थाओं के बच्चों की ग्रामीण स्थिति का निर्धारण उस जिले के तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा जिसमें यह लिखा गया हो कि अभ्यर्थी पिछले तीन वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है। नगरीय एवं अधिसूचित क्षेत्रों से पढ़ने वाले विद्यार्थी जो उपर्युक्त योजनाओं में अध्ययन कर रहे हों, वे ग्रामीण कोटे के अन्तर्गत प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

4.6 ऐसे अभ्यर्थी, जो प्रोन्नत नहीं किए गये हैं और पांचवी कक्षा में **15 सितम्बर, 2020** से पहले प्रवेश नहीं लिए हैं, वे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे।

4.7 कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए योग्य नहीं है।

ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए

(अ) प्रत्येक जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गये अभ्यर्थियों और शेष स्थान उस जिले के शहरी क्षेत्रों से चुने गये अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा में पूर्ण शैक्षिक सत्र अध्ययन किया हो। **अभ्यर्थी ने कक्षा–5 में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में उसी जिले में अध्ययन किया हो, जहां वह प्रवेश चाहता है।**

(स) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की योजना के तहत पढ़ने वाले अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है।

शहरी अभ्यर्थियों के लिए

जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो, वह शहरी अभ्यर्थी माना जायेगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें **2011** की जनगणना में अथवा उसके बाद किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जायेगा।

ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए

ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है और उन्हें आरक्षण हेतु बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसे–शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में सम्मिलित किया जायेगा।

स्थानों का आरक्षण

(अ) प्रत्येक जिले के कम से कम 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा तथा शेष स्थान जिले के शहरी क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।

(ब) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान का आरक्षण सम्बन्धित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। किन्तु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात (15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति) से कम तथा 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति और जन जाति को जोड़कर) से अधिक नहीं होना चाहिए यह आरक्षण अन्तर परिवर्तनीय है और खुली वरीयता सूची के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त लागू होगा।

(स) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केन्द्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है, के अनुसार लागू किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे।

(द) कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जायेंगे।

(इ) ******दिव्यांग बच्चों (अस्थि दिव्यांग, श्रव्य दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग) के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है।

****दृष्टि दिव्यांगता**" निम्न शर्तों में से किसी एक के होने पर ही मान्य होगीः–

(i) सम्पूर्ण दृष्टिहीनता : या

(ii) अपेक्षाकृत अच्छे नेत्र में ऐनक के साथ दृष्टि तीव्रता 6/60 या 20/200 (Snellen) से अधिक न हो

(iii) दृष्टि के क्षेत्र परिसीमन का कोण 20 अंश या उससे खराब।

"श्रव्य दिव्यांगता" संवाद क्षेत्र की बारम्बारता में अपेक्षाकृत अच्छे कान में 60 या इससे अधिक डेसिबल (decibels) की क्षति।

"लोकोमोटर दिव्यांगता" (Locomotor disability) अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता के चलते हाथ पैरों के संचालन में विशेष रूकावट या मांसपेशियों के नियंत्रण या संचालन में रूकावट (Any form of cerebral palsy)

"दिव्यांग व्यक्ति" का तात्पर्य है कि किसी तरह की विकलांगता जो 40 प्रतिशत से कम न हो और जिसे चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

चयन उपरांत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र

प्रवेश के लिए अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के माता पिता को सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(i) जन्मतिथि प्रमाण पत्र

(ii) नविस की शर्तों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र।

(iii) ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए उनके माता पिता को सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पाल्य ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्थान/स्कूल में अध्ययन किया था।

(iv) केवल एन.आई.ओ.एस. से अध्ययन करने वालों के लिए निर्धारित प्रारूप में निवास प्रमाण पत्र।

(v) अन्य कोई आवश्यक प्रमाण पत्र।

चयन परीक्षा के विषय में

1. परीक्षा केन्द्र

प्रत्येक अभ्यर्थी उसके प्रवेश–पत्र पर दर्शाए गए एवं आवंटित परीक्षा केन्द्र से ही चयन परीक्षा देगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्य किसी भी परीक्षा केन्द्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी उचित प्रवेश–पत्र के बिना चयन परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। प्रवेश पत्र नविस, मुख्यालय की वेबसाइट **www.navodaya.gov.in एडमीशन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।**

2. परीक्षा की भाषा

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा राज्यवार विभिन्न भाषाओं में आयोजित की जायेगी जो निम्नवत् हैः

राज्य का नाम	भाषा
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	हिन्दी, अंग्रेजी,तमिल, उर्दू, बंगाली
आन्ध्र प्रदेश	हिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़
अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी, हिन्दी
आसाम	अंग्रेजी, हिन्दी, असमिया, बोडो, गारो, बंगाली, मणिपुरी (बंगला लिपि), मणिपुरी (मैतेई मायेक)
बिहार	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
चण्डीगढ़	अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
छत्तीसगढ़	अंग्रेजी, हिन्दी,
दिल्ली	अंग्रेजी, हिन्दी
गोवा	अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, कन्नड़
गुजरात	अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी
हरियाणा	अंग्रेजी, हिन्दी
हिमाचल प्रदेश	अंग्रेजी, हिन्दी
जम्मू और कश्मीर	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
झारखण्ड	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, उड़िया
कर्नाटक	हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलगू, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल
केरल	हिन्दी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, कन्नड़
लक्षद्वीप	हिन्दी, अंग्रेजी, मलयालम
मध्य प्रदेश	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मराठी, गुजराती
महाराष्ट्र	अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलगू, गुजराती
मणिपुर	अंग्रेजी, हिन्दी, मणिपुरी (मैतेई मायेक)

मेघालय	अंग्रेजी, हिन्दी, खासी, गारो, बंगाली, असमिया
मिजोरम	अंग्रेजी, हिन्दी, मिजो
नागालैण्ड	अंग्रेजी, हिन्दी,
ओड़िशा	अंग्रेजी, हिन्दी, तेलगू, उड़िया, उर्दू
पुद्दूचेरी	अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, मलयालम, हिन्दी
पंजाब	अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
राजस्थान	अंग्रेजी, हिन्दी
सिक्किम	अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली
तेलंगाना	हिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू, कन्नड़, मराठी, उर्दू
त्रिपुरा	अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली
यू.टी. लद्दाख	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
यू.टी. दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी
उत्तर प्रदेश	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
उत्तराखण्ड	अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
पश्चिम बंगाल	अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, नेपाली, उर्दू

नोटः—**अभ्यर्थी को परीक्षा में उसी भाषा की परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी जिस भाषा का उल्लेख उसके द्वारा आवेदन पत्र में किया गया है।**

3. परीक्षा की संरचना

चयन परीक्षा की अवधि 2 घण्टे 11.30 पूर्वाह्न से 1.30 अपराह्न तक होगी और इसके तीन खण्ड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और पूर्णांक 100 होगा।

परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
मानसिक योग्यता परीक्षा	40	50	60 मिनट
अंकगणित परीक्षा	20	25	30 मिनट
भाषा परीक्षा	20	25	30 मिनट
योग	**80**	**100**	**2 घण्टे**

प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन खण्डों की एक ही परीक्षा पुस्तिका दी जायेगी। **दिव्यांग** विद्यार्थियों **(भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों) को 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।**

3. उत्तर अंकित करने की विधि

(अ) अलग से एक उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. (Optical Mark Recognition) उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को केवल उसी ओ.एम.आर. पत्रक में उचित स्थान पर अपना उत्तर अंकित करना आवश्यक है। ओ.एम.आर. पत्रक की नमूना प्रति न.वि.स. की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

(ब) ओ.एम.आर. पत्रक पर उत्तर अंकित करने के लिए **केवल नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **अभ्यर्थियों को अपना बॉल पेन अपने साथ** लाना है। **पेंसिल का प्रयोग सख्त वर्जित है।**

(स) प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे जिसमें केवल एक ही उत्तर सही है। अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर वाले गोले को पूर्णतया काला करना है। उदाहरण के तौर पर प्रश्न संख्या 37 का C सही है तो उस गोले को उत्तर पत्रक में इस प्रकार काला करें जैसा कि नीचे दिया हुआ है।

37. A B C D

(द) काले किये गये गोले में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है ओ.एम.आर. पत्रक को खुरचना, फ्लूड का प्रयोग और उत्तर मिटाना मान्य नहीं है। ऐसे उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(इ) प्रत्येक सही उत्तर के लिए **1.25** अंक दिये जायेंगे।

(फ) ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

4. दिशा–निर्देश तथा उदाहरण

(क) प्रश्नों को हल करने से पहले अभ्यर्थी को परीक्षण पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक अनुभाग में दिये गये दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिए इस बात

को सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा पुस्तिका की भाषा वही है जो उन्होंने चाही है। यदि परीक्षा पुस्तिका अभ्यर्थी द्वारा चाही गई भाषा में न हो तो उसे परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले ही अभ्यर्थी बदल लें। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह आवेदन पत्र में दिये गए भाषा विकल्प के अनुसार परीक्षा पुस्तिका प्राप्त करे। परीक्षा समाप्त होने के बाद इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) बिना किसी अन्तराल के कुल 2 घण्टे का समय होगा।दिव्यांग (भिन्न योग्यं) विद्यार्थियों को 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(ग) तीनों प्रकार के खण्डों में से प्रत्येक में अलग–अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह प्रत्येक खण्ड के प्रश्न पर सुझाए गए समय से अधिक समय न लगाएंयद्यपि वे परीक्षा की कुल अवधि को अपनी इच्छानुसार समायोजित कर सकते हैं।

(घ) प्रत्येक 30 मिनट के बाद एक घण्टी बजाई जाएगी।

(I) किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त प्रवेश पत्र के बिना चयन परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

(II) अभ्यर्थी निर्धारित कक्ष में 11.00 बजे पूर्वाह्न तक बैठ जाएं। देर से आनेवाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

(III) कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा हेतु निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा कक्ष/हाल नहीं छोड़ सकेगा।

परीक्षा का स्वरूप

खण्ड –1 मानसिक योग्यता परीक्षा(मैट)

यह अशाब्दिक परीक्षा है। इसमें प्रश्न केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर होंगे। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य मानसिक योग्यता को परखना है। इस खण्ड के 10 भाग हैं। प्रत्येक भाग में 4–4 प्रश्न होंगे। नीचे कुछ उदाहरण दिये गये हैं :–

प्रकार–1 (भिन्न आकृति छांटिए)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 1 से 4में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 आकृतियां A,B,Cऔर D दी गयी हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से एक जैसी हैं तथा एक भिन्न है। जो आकृति भिन्न है,उसे चुनें।

(A) (B) (C) (D)

सही उत्तर (A) है

प्रकार–2 (आकृति मिलान)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और उसके दांईं ओर चारउत्तर आकृतियां A,B,C,Dदी गई हैं। उत्तर आकृति का चयन करें जो समस्या आकृति के बिल्कुल समान है।

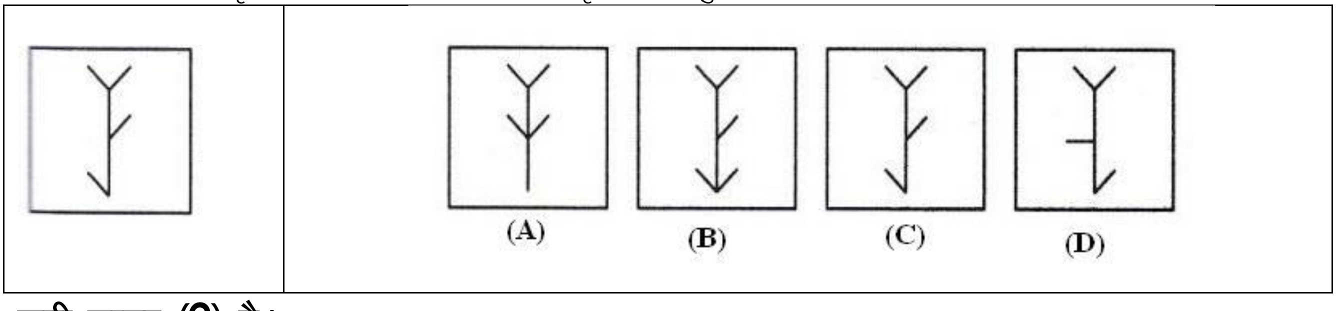

(A) (B) (C) (D)

सही उत्तर (C) है।

प्रकार–3 (आकृति पूरक)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक समस्या आकृति है इसका कुछ भाग लुप्त है। दाईं ओर दी गईA,B,C,D उत्तर आकृतियों को देखिएऔर ऐसी उत्तर आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के लुप्त भाग में फिट हो जाए, जिससे कि समस्या आकृति पूर्ण हो जाए।

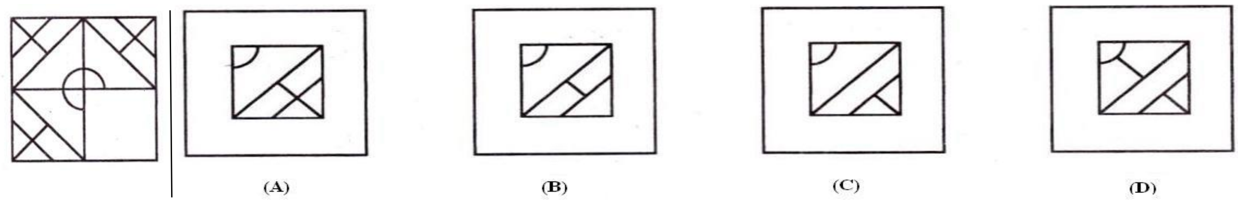

सही उत्तर (A) है

प्रकार–4 (आकृति श्रृंखला पूर्ण करना)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर तीन समस्या आकृतियां हैं और चौथी आकृति के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। इसका पता लगाओ कि दाहिनी ओर उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति रिक्त स्थान पर आकर श्रृंखला को पूरा करती है।

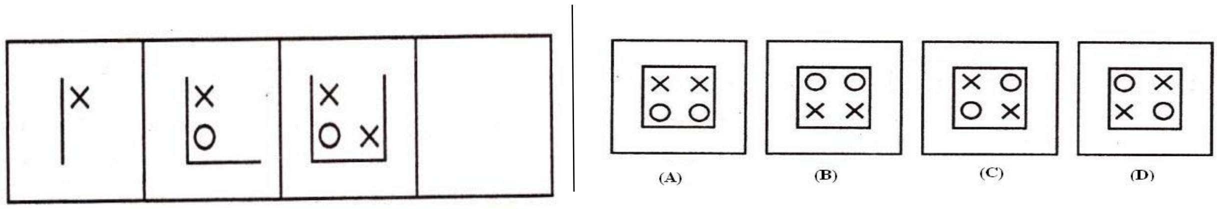

सही उत्तर (C) है

प्रकार–5 (समानता)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 17 से 20 में दो समुच्चयों की दो–दो समस्या आकृतियां हैं। दूसरे समुच्चय में प्रश्न चिह्न (?) लगा हुआ है। पहली तथा दूसरी समस्या आकृति के बीच कोई सम्बन्ध है। इसी प्रकार का सम्बन्ध तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों में भी होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति चुनों जो प्रश्न चिह्न को हटा सके।

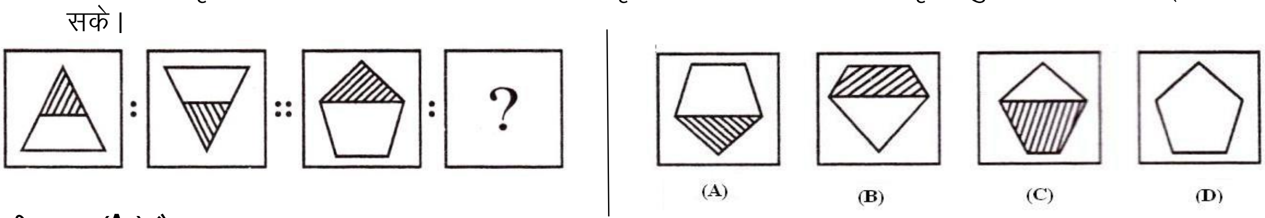

सही उत्तर (A) है

प्रकार–6 (रेखागणितीय चित्र पूरक)त्रिकोण, वर्ग, वृत्त

अनुदेश

प्रश्न संख्या 21 से 24 में बाईं ओर रेखागणितीय आकृति का एक भाग प्रश्न आकृति के रूप में दिया गया है और इसका अन्य भाग दाईं ओर के उत्तर आकृतिA,B,C,Dमें से है। ऐसी आकृति चुनिए जो रेखागणितीय आकृति को पूरा कर दे।

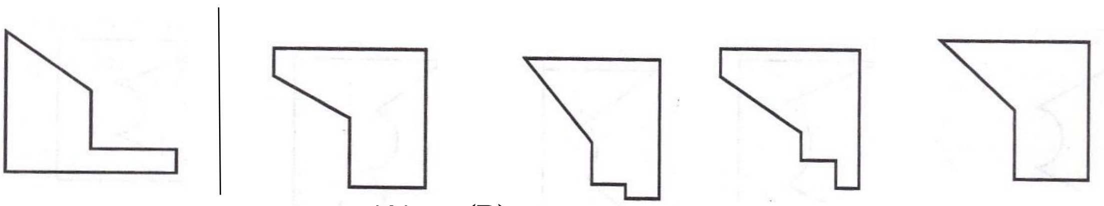

(A) (B) (C) (D)

सही उत्तर (A)है

प्रकार–7 (दर्पण बिम्ब)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक समस्या आकृति है और इसके दाईं ओर चार उत्तर आकृतियां A,B,C,D दी गई है। ऐसी आकृति चुनो जो समस्या आकृति का दर्पण में प्रतिबिम्बित होगा जब दर्पण को XY रूप में रखा जाए।

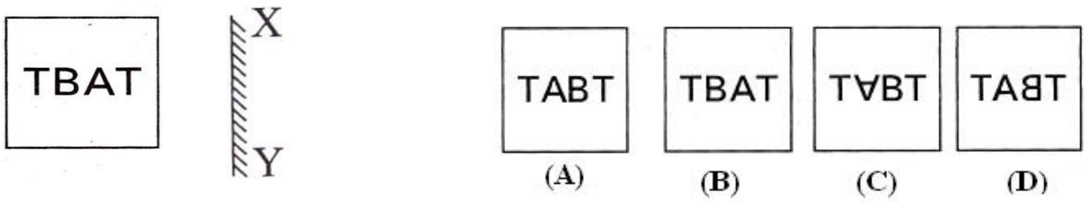

सही उत्तर (D) है

प्रकार–8 (पंच नियंत्रित आकृति–मोड़ना / खोलना)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाँई ओर समस्या आकृति के रूप में कागज का एक टुकड़ामोड़ा तथा पन्च किया गया है और दाँई तरफ चार उत्तर आकृतियाँ A,B,C व D दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनो जो कागज खुलने (Unfolded) पर कैसा दिखेगा।

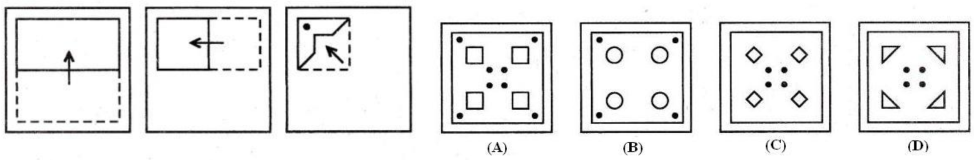

सही उत्तर (A) है

प्रकार–9 (स्पेस विजअलाइजेशन)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाँई ओर एक समस्या आकृति दी गई है। दाँई तरफ चार उत्तर आकृतियां A,B,C व Dदी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनो जो समस्या आकृति में दिये गये टुकड़ों को जोड़ने पर प्राप्त होगी।

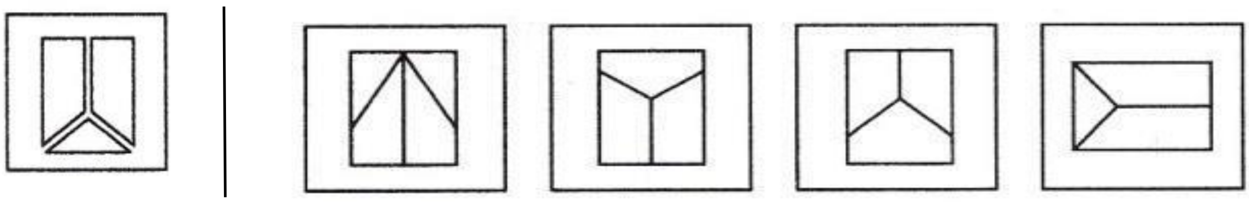

(A) (B) (C) (D)

सही उत्तर (D) है

प्रकार–10(सन्निहित आकृति)Embedded)

अनुदेश

प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाँई ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाँई तरफ चार उत्तर आकृतियां A,B,C, Dदी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनो जिसमें समस्या आकृतिछिपी हुई है।

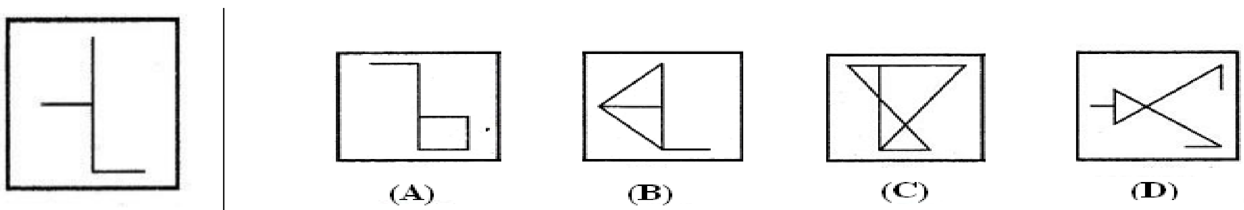

सही उत्तर (B) है

खण्ड 2: अंकगणित परीक्षा

इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंकगणित में आधारभूत दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 15 विषयों पर आधारित होंगे

1. संख्या और संख्या पद्धति
2. पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत सक्रियाएं
3. भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर चार आधारभूत सक्रियाएं
4. गुणनखण्ड और गुणांक एवं उनके गुण
5. संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य
6. दशमलव तथा उन पर आधारभूत सक्रियाएं
7. भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना
8. मापन–लम्बाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन इत्यादि
9. दूरी, समय तथा गति
10. व्यंजकों का सन्निकटन
11. संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण
12. प्रतिशतता तथा उनके अनुप्रयोग
13. लाभ तथा हानि
14. साधारण ब्याज
15. परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन

टिप्पणीः–धारणाओं तथा उससे सम्बन्धित दक्षताओं के बोध तथा उनके अनुप्रयोग के परीक्षण पर अधिक बल दिया जाएगा। अंकगणित परीक्षा में आने वाले सम्भावित प्रश्नों के प्रकार के विषय में अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं–

उदाहरण– 1 (बोध का परीक्षण करना):

1000 का अभाज्य गुणनखण्ड क्या है ?

A. 10x10x10 **B. 2 x 5 x 5 x 10**

C. 2 x 2 x 2 x 5 x 5 **D. 2 x 2 x 2 x 5 x 5 x 5**

एक संख्या के गुणनखण्ड को अभाज्य गुणनखण्ड कहते हैं यदि (i) सभी गुणनखण्डों को गुणन (प्रत्येक गुणनखण्डों को उतनी बार गुणा करना है जितनी बार वह आया है) दी गयी संख्या के बराबर हो तथा (ii) प्रत्येक गुणनखण्ड अभाज्य संख्या हो। यहाँ केवल विकल्प D दोनों शर्तों को पूरा करता है।

अतः विकल्प D सही उत्तर है।

उदाहरण 2 (बोध का परीक्षण करना):

पहली चार विषम संख्याओं का औसत क्या है?

A. 5 B. 4

C. 5 D. 16

पहली चार विषम संख्याएं 1, 3, 5 तथा 7हैं।इनका औसत (1+3+5+7)/4 है। **अतः विकल्प B सही उत्तर है।**

उदाहरण 3 (अनुप्रयोग का परीक्षण करना):

01किलोमीटर लम्बी मालगाड़ी 01 किलोमीटर प्रति 03 मिनट की गति से चल रही है। 02 किलोमीटर लम्बी सुरंग को पार करने में मालगाड़ी द्वारा लिया गया समय है:

A. 1 मिनट B. 3 मिनट

C. 6 मिनट D. 9 मिनट

सुरंग की लम्बाई 2 किमी0 तथा गाड़ी की लम्बाई 1 किमी0 है। सुरंग को पार करने में गाड़ी को 3 किमी0 की दूरी तय करनी पड़ेगी यदि गाड़ी की गति 01 किमी0 प्रति 3 मिनट है तो गाड़ी सुरंग पार करने में 9 मिनट लेगी और यही सही उत्तर है। **अतः D सही उत्तर है।**

खण्ड 3: भाषा परीक्षा

इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी में पढ़ने के बोध को मापना है। इसमें चार गद्यांश हैं। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर दें।

नमूना गद्यांश और प्रश्न नीचे दिए गए हैं।

गद्यांश

वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। वे हमें घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। वन हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। वे पक्षियों, वन्य जीवों व कीट–पतंगों के लिए शरण देते हैं। वन वर्षा कराते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जंगलों का अस्तित्व अतिमहत्वपूर्ण है। यह एक निर्विवाद व स्थापित तथ्य है कि हमें पारिस्थिति की तंत्र का ध्यान रखना होगा। मानव के अनवरत अस्तित्व के लिए पर्यावरण व इसके संसाधनों को बुद्धिमतापूर्ण उपयोग करना अपरिहार्य हो गया है।

1. पारिस्थिति की तंत्र की सुरक्षा हेतु .... का अस्तित्व अनिवार्य है

(A) वन (B) मानव

(C) जानवरों (D) संसाधन

सही उत्तर (A) है

2. संरक्षण का विलोम है............

(A) बचाव (B) शरण

(C) निर्माण (D) विनाश

सही उत्तर (D) है

3. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्धिमान का पर्याय नहीं है..........

(A) विवेकशील (B) हास्यास्पद

(C)ज्ञानवान (D) न्यायसंगत

सही उत्तर (B) है

4. बढ़ई वनों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं........

(A) जलाने हेतु लकड़ी (B) कागज बनाने हेतु लकड़ी

(C) फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी (D) जानवरों के लिए घर

सही उत्तर (C) है

5. वन्य जीव बेघर हो जायेंगे यदि............

(A) कागज की मिलें नष्ट हो जायेंगी (B) घर बना दिए जाएं

(C) वनों का विनाश हो जाएं (D) पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखा जाए

सही उत्तर (C) है

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण दिशा–निर्देश

जवाहर नवोदय विद्यालय के छठी कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र स्वतः स्पष्ट है। फिर भी निम्नलिखित दिशा निर्देश छात्र एवं उनके माता–पिता/अभिभावक विशेष रूप से ध्यान में रखें ।

1. कृपया विवरणिका ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सुनिश्चित करने के उपरान्त कि अभ्यर्थी निर्धारित मापदण्ड पूरा करता है, जैसे जन्मतिथि विनिर्दिष्ट सीमा के अन्दर **(01.05.2008 से 30.04.2012 दोनों तिथियॉ सम्मिलित),** कक्षा–3, 4 तथा 5 किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं (सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त /एन.आई.ओ.एस.) से अध्ययन किया हो, पूर्ण सूचना भरें।

2. आवेदन पत्र के साथ वर्ग जैसे–सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, बालक/बालिका और ग्रामीण/शहर के संबंध का प्रमाण पत्र सावधानी पूर्वक भर कर अपलोड करें। यदि प्रवेश के समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने जिस श्रेणी का चयन कर रखा है और वह वास्तव में उस वर्ग का नहीं है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

3.(अ) जन्मतिथि को अंकों तथा शब्दों में अंकित करें। विद्यालय में दर्ज अभिलेख के अनुसार सही जन्मतिथि लिखें। यदि किसी भी स्तर पर यह पता लगा कि अभ्यर्थी की जन्मतिथि विद्यालय के अभिलेख से मेल नहीं खाती है तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

3.(ब) आवेदन पत्र में अभ्यर्थी स्थायी पहचान का चिह्न, जो स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके, अंकित करें।

4. जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी एवं उसके माता–पिता/अभिभावक दोनों के हस्ताक्षर अपलोड करें।

5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि **15 दिसंबर , 2020** है।

सावधानी : यदि कोई भी कॉलम रिक्त अथवा प्रविष्टियाँ अपूर्ण है तो आवेदन–पत्र रद्द हो सकता है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित मापदण्ड जैसेः शिक्षा, आयु और वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)और क्षेत्र(शहरी/ग्रामीण)जो लागू हो पूरी करता हो। अभ्यर्थी के चयन के उपरान्त भी मूल आवेदन–पत्र में दी गई कोई भी सूचना सत्यापन में गलत/असत्य पाई गई तो ऐसी दशा में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रवेश जो गलत प्रमाण पत्र/घोषणा/सूचना के आधार पर प्राप्त कर लिया है तो ऐसे प्रवेश को न केवल निरस्त कर दिया जाएगा बल्कि समिति यह भी अधिकार रखती है कि उसके विद्यालय में रहने के दौरान हुए व्यय की वसूली करे।

आवास प्रमाण–पत्र

(उन अभ्यर्थियों पर लागू जो एन.आई.ओ.एस. के माध्यम से अध्ययन किये हैं, को ज.न.वि. में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा)

जवाहर नवोदय विद्यालय..जनपद ....राज्य .... पत्र सं. .... दिनांक ....के अनुसार मेरा पुत्र/पुत्री/मास्टर/कुमारी .... ने कक्षा–6 की प्रवेश परीक्षा ज.न.वि. .... जिला.............................राज्य/यू.टी.................................. सत्र ....में प्रवेश के लिए उत्तीर्ण /सफल हुआ है।

मै निम्नलिखित पते पर ....से रह रहा हूँ।

***क्षेत्र जहाँ निवास है जनपद के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में स्थित है।**

ग्राम ....

कस्बा ....

जनपद ....

राज्य ....

पिन कोड ....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना सत्य हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

माता/ पिता के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पता

स्थान ....

दिनांक ....

प्रमाण–पत्र

(जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा भरने तथा उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित प्रवेश परीक्षा द्वारा चयनित छात्र के अभिभावक को प्रवेश के समय जमा करने के लिए जारी किया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना श्री/श्रीमती .... माता/पिता, मास्टर/कुमारी ....द्वारा ज.न.वि. ....की कक्षा–6 में प्रवेश हेतु परीक्षा द्वारा चयनित छात्रके विवरण को अभिलेखों से सत्यापित कर लिया गया है और सत्य पाया गया।

***जिस क्षेत्र में अभ्यर्थी रहता है वह ....जनपद के ग्रामीण /शहरी क्षेत्र में अवस्थित है।**

हस्ताक्षर

उप जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा–2021

प्रमाण–पत्र

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर– 2020

अभ्यर्थी की पासपोर्ट फोटो यहां चिपकाएं

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचनाएं .... (छात्र का नाम) जो कक्षा–5 में .... (विद्यालय का नाम) में अध्ययनरत है, के बारे में सही हैं एवं वह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में आवेदन करने के लिए इच्छुक है।

अभ्यर्थी का नाम (बड़े अक्षरों में)	
पिता का नाम (बड़े अक्षरों में)	
माता का नाम(बड़े अक्षरों में)	
संरक्षक का नाम और संबंध, यदि कोई हो	

जन्मतिथि

अंको में

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

शब्दों में ....
....

लिंग
कृपया (✓)चिह्न लगाएं

लड़का	लड़की	ट्रांसजेन्डर

वर्ग

सामान्य	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**

दिव्यांगता का प्रकार, यदि कोई हो।
कृपया संबंधित वर्ग में(✓) चिह्न लगाएं

शारीरिक दिव्यांगता	दृष्टिबाधित	श्रवण बाधित

पहचान का चिह्न..

वर्तमान पत्र व्यवहार का पता

मोबाइल नं. ....**ई–मेल** ....

राष्ट्रीयता.. **धर्म**..

परीक्षा का माध्यम ....
(कृपया इस विवरणिका में उल्लिखित राज्य की भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करें)

विवरण	**कक्षा–3**	**कक्षा–4**	**कक्षा–5**
विद्यालय का नाम (कक्षा–3,4 में पढ़ा एवं कक्षा–5 में अध्ययनरत) और गांव/स्थान			
स्कूल की अवस्थिति : ग्रामीण/शहरी			
प्रवेश लेने का माह एवं वर्ष			
उत्तीर्ण होने का माह एवं वर्ष			
विकास खण्ड का नाम			
जनपद का नाम			
राज्य का नाम			

मैं प्रमाणित करता हूँ कि विद्यालय जिसमें मेरा पाल्य पढ़ा/पढ़ रहा है एक मान्यता प्राप्त विद्यालय है और नवोदय विद्यालय समिति की आवश्यकता के अनुसार योग्यता के सभी मापदण्ड पूरा करता है। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि अभ्यर्थी शहरी क्षेत्र में कक्षा–3, 4 और 5 में एक दिन भी पढ़ा है तो विद्यार्थी शहरी क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाएगा।

यदि दी गई कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो जनवि में प्रवेश के पश्चात भी मेरे पाल्य का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मैं यह भी स्वीकर करता हूं कि भविष्य में मेरे द्वारा पूर्वोक्त विवरण में किसी परिवर्तन का अनुरोध नहीं किया जाएगा और मैं सहमत हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन विवरण बेमेल होने की स्थिति में ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत किया गया विवरण अंतिम माना जाएगा।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर	**अभिभावक के हस्ताक्षर**

नोटः एनआईओएस के विद्यार्थियों के संबंध में, क्षेत्र का निर्धारण अभ्यर्थी के आवास के आधार पर किया जाएगा।

Performa for Other Backward Class (OBC) Certificate

(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri / Smt. / Kum. ____Son / Daughter of Shri / Smt. ______________________________ of Village / Town _____________________________ District / Division ____________________________ in the ___________________________ State belongs to the __________________________ Community which is recognized as a backward class under:

(i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
(ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
(iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
(iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9/03/96.
(v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
(vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
(vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
(viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
(ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
(x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
(xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
(xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
(xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
(xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
(xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.
(xvi) Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12/03/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 67 dated 12/03/2007.
(xvii) Resolution No. 12018/6/2005-BCC dated 10/10/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 311 dated 12/10/2007.
(xviii) Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 232 dated 18/08/2010 & Corrigendum dated 11/10/2010.

Shri / Smt. / Kum. ____ and / or his family ordinarily reside(s) in the ___________________________ District / Division of ________________________ State. This is also to certify that he / she does not belong to the persons / sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate/ Competent Authority

Seal

NOTE:

(a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
(b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
  (i) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / Ist Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
  (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
  (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
  (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.
(c) The annual income / status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2011.